Mr. Deputy-Speaker: I take it that withdrawn with the leave of the House.

All the other cut motions were, by leave, withdrawn.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts shown in the fourth column of the order paper, be granted to the President, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March 1960, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 81 to 84 and 130 relating to the Ministry of Steel, Mines and Fuel".

The motion was adopted.

[The motions for Demands for Grants which were adopted by the Lok Sabha are reproduced below—Ed.]

DEMAND No. 81—MINISTRY OF STEEL, MINES AND FUEL

"That a sum not exceeding Rs. 36,98,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1960, in respect of 'Ministry of Steel, Mines and Fuel'.".

DEMAND No. 83—EXPLORATION OF OIL

"That a sum not exceeding Rs. 2,02,63,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1960, in respect of 'Geological Survey'.".

DEMAND No. 83—EXPLORATION OF OIL AND NATURAL GAS

"That a sum not exceeding Rs. 3,10,34,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1960, in respect of 'Exploration of Oil and Natural Gas'.".

DEMAND No. 84—MISCELLANEOUS DEPARTMENTS AND OTHER EXPENDITURE UNDER THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND FUEL

"That a sum not exceeding Rs. 24,81,40,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1960, in respect of 'Miscellaneous Departments and Other Expenditure under the Ministry of Steel, Mines and Fuel'.".

DEMAND No. 130—CAPITAL OUTLAY OF THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND FUEL

"That a sum not exceeding Rs. 22,06,60,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1960, in respect of 'Capital Outlay of the Ministry of Steel, Mines and Fuel'.".

MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY

Mr. Deputy-Speaker: The House will now take up discussion on Demands Nos. 95 to 99 and 136 to 138 relating to the Ministry of Works, Housing and Supply for which 4 hours have been allotted.

Hon. Members desirous of moving cut motions may hand over at the Table within 15 minutes the number of the selected cut motions. I shall treat them as moved, if the members in whose names those cut motions stand are present in the House and the motions are otherwise in order.

DEMAND NO. 95—MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 57,97,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1960, in respect of 'Ministry of Works, Housing and Supply'.".

DEMAND NO. 96—SUPPLIES

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 2,59,19,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1960, in respect of 'Supplies'.".

DEMAND NO. 97—OTHER CIVIL WORKS

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 24,74,12,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1960, in respect of 'Other Civil Works'.".

DEMAND NO. 98—STATIONERY AND PRINTING

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 7,12,63,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1960, in respect of 'Stationery and Printing,.".

DEMAND NO. 99—MISCELLANEOUS DEPARTMENTS AND EXPENDITURE UNDER THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING ANE SUPPLY

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 1,09,05,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1960, in respect of 'Miscellaneous Departments and Expenditure under the Ministry of Works, Housing and Supply'.".

DEMAND NO. 136—DELHI CAPITAL OUTLAY

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 6,71,17,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1960, in respect of 'Delhi Capital Outlay'.".

DEMAND NO. 137—CAPITAL OUTLAY ON BUILDINGS

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 7,53,92,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1960, in respect of 'Capital Outlay on Buildings'.".

DEMAND NO. 138—OTHER CAPITAL OUTLAY OF THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That a sum not exceeding Rs. 6,55,39,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending

[Mr. Deputy Speaker.]

the 31st day of March, 1960, in respect of 'Other Capital Outlay of the Ministry of Works, Housing and Supply'.".

Shri T. B. Vittal Rao: We have got a half-hour discussion today. The Member concerned is present. So if we continue with the discussion on this Ministry, we will have to sit till 6-30. There are hardly 20 minutes left. So I would suggest that we may straightway take up the half hour discussion and start discussion on this Ministry tomorrow.

Mr. Deputy-Speaker: We took the decision that we would sit till 6 P.M. to discuss the Demands.

Shri T. B. Vittal Rao: Now hardly 15 or 20 minutes are left. The Minister also will not be fresh now.

Mr. Deputy-Speaker: Is the Minister making any opening remarks or should the House proceed with the discussion?

The Minister of Works, Housing and Supply (Shri K. C. Reddy): The debate may proceed.

Mr. Deputy-Speaker: We will sit up to 6 P.M. for discussion of the Demands.

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया गया । पिछले साल भी मुझे वर्क्स, हाउसिंग एंड सप्लाई की डिमांड्ज पर बोलने का अवसर मिला था । इस वर्ष भी मैं इस सम्बन्ध में कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं । इस मिनिस्ट्री में तीन डिपार्टमेंट शामिल हैं—वर्क्स, हाउसिंग और सप्लाई । जहां तक वर्क्स का सवाल है, पिछले साल बहस करते हुए कुछ लोगों ने पी० डब्ल्यू० डी० को पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेंट कहा था, लेकिन अगर उस को प्लंडर विदाउट डेंजर कहा जाय, तो कुछ बुरा न होगा । यह देखा जाता है कि जिस वक्त ठेके लिये जाते हैं, उस वक्त दस परसेंट तो वैसे ही मार्जिन रखा जाता है, ताकि लोग खुले तौर से दस परसेंट की बचत कर सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय : कभी आप ने भी कंट्रेक्ट का काम किया है ?

श्री मोहन स्वरूप किया नहीं है, लेकिन और लोगों को देखा है । यह आम तौर पर देखा जाता है कि सामान चोरी चला जाता है, मैटीरियल गायब हो जाता है । रिश्वत का यह हाल है कि शुरू से ले कर आखिर तक—ओवरसीयर से ले कर चीफ़ इंजीनियर तक ठेकेदार को रुपया देना पड़ता है । ऐसे सूरते-हालात में ईश्वर ही जाने कि मकानों की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है । रोजाना हम और आप यह सब देखते हैं । मैं ने १७ मार्च, १९५९ को क्वेश्चन नम्बर २०३८ पूछा था, जो कि टनकपुर में डाकखाने की बिल्डिंग के बारे में था । वह डाकखाना तीन चार बरसों से बन रहा है और अभी तक सिर्फ दीवारें जरा उठ पाई हैं । वह जगह मेरी कास्टीच्युएन्सी में है । मैं ने उस के मुताल्लिक तहकीकात की है और मुझे बताया गया है कि बहुत सा सामान गायब हो गया है और उस में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का स्टाफ़ भी शामिल है । यह बात मुझे बताई गई है । मुमकिन है कि यह ग़लत हो । मुझे बताया गया है कि साईट से लोहा और सरिया गायब हो गया है और इमारत अभी थोड़ी सी बनी है । मिनिस्टर साहब ने उस वक्त यह जवाब दिया था —

> "That Executive Engineer, C.P.W.D. had invited tenders for the remaining work left out by the previous contractor. The cost of work as now estimated has exceeded the original estimate and these tenders are now under scrutiny. The actual building work is expected to start and be completed during the financial year 1959-60."

उपाध्यक्ष महोदय, यह दशा है उस जगह की और अभी तक वह बिल्डिंग बन नहीं पाई है। इस तरह की एग्जाम्पल्ज बहुत सी दी जा सकती हैं।

बरेली-मेरठ नैशनल हाईवे पर एक ब्रिज बना है। श्री लाल बहादुर शास्त्री ने उस का उद्घाटन किया था। एक साल पुल बना और दूसरे साल उस का एक पोर्शन गिर भी गया, हालांकि पुल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था। पिछले जाड़ों मैं ने देखा कि गिरे हिस्से की मरम्मत की जा रही थी। आप देख सकते हैं कि नैशनल हाईवे की यह दशा है।

सतीमा में बंगाली कालोनी बन रही है। उस की भी यही दशा है। इसी तरह मैं यह बताना चाहता हूं कि मिन्टो रोड पर कुछ क्वार्टर्ज़ बने हुए हैं, जिन के बारे में बताया जाता है कि वे पिछली वार के जमाने में बने थे। वे अच्छे खासे क्वार्टर हैं, लेकिन कहा जाता है कि अब उन को तोड़ दिया जायगा और उन की जगह पर वहां मल्टी-स्टोरीड बिल्डिंग बनाई जायेगी। दो एक इंजीनियर साहबान से, जिन का कि इस से वास्ता है, मैं ने पूछा तो उन्होंने कहा कि उन की लाइफ़ नहीं रही। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन एपैरेंटली वे क्वार्टर अच्छे खासे हैं। आप जानते हैं कि दिल्ली में एकामोडेशन की कितनी कमी है, लेकिन जब मैं देखता हूं कि अच्छी खासी इमारतों को गिराने की बात की जाती है, तो दुख सा होता है। दिल्ली में मल्टी-स्टोरीड बिल्डिंग बनाने के लिये काफ़ी जगह खाली पड़ी हुई है। तो फिर क्या वजह है कि मिन्टो रोड की अच्छी खासी इमारतों को तोड़ा जाये ?

17.48 hrs.

[SHRI BARMAN *in the Chair*]

कृषि भवन के सामने एक इमारत पिछले साल तोड़ी गई। अब वहां एक मल्टी-स्टोरीड बिल्डिंग बनाई जा रही है। जहां तक कृषि भवन का ताल्लुक है, पिछले साल बारिश की वजह से वहां पर पचास हजार गैलन पानी भर गया। एक दफा मुझे कृषि भवन जाने का इत्तिफाक हुआ। मैंने देखा कि हजारों फाइलें पानी में भीगी पड़ी थीं। वहां पर एक प्राविजन स्टोर भी था। उस का सारा सामान सड़ गल कर खराब हो गया था। वहां कई दिन तक पानी भरा रहा। इसी तरह मिन्टो ब्रिज के नीचे भी कई दिन तक पानी भरा रहा। आखिर यह कैसी प्लानिंग है ? इस डिपार्टमेंट के क्या ढंग हैं, क्या तरीके हैं और कैसे एक्सपर्ट हैं, जो इस तरह के मकानात बनाते हैं कि सड़क तो ऊंची है और उस पर बने हुए मकान नीचे हैं, जैसे कि कृषि भवन और उद्योग भवन हैं। मैं मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि यह कैसा प्लानिंग है। वह इस का स्पष्टीकरण करें। कृषि भवन के समीप एक बिल्डिंग है, जिस में पहले खाद्य मंत्री रहा करते थे। शायद श्री जयरामदास दौलतराम वहां रहे थे और फिर मुंशी साहब भी रहे थे। उस मकान को तोड़ने का इन्तजाम हो रहा है और उस जगह पर एक मल्टीस्टोरीड बिल्डिंग बनाई जायगी। मेरी समझ में नहीं आता कि यह क्या तरीके हैं कि दिल्ली में मकानात की कमी हो, पैसे का अभाव हो और दूसरे देशों से कर्ज लिया जाता हो और फिर भी बनी बनाई इमारतों को तोड़ने की बात हो। इस डिपार्टमेंट में इस कद्र करप्शन है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं चाहता हूं कि एक हाई पावर कमीशन बिठाया जाय, जो कि करप्शन के मुताल्लिक जांच-पड़ताल करे कि यह आदत और ये तरीके कब तक जारी रहेंगे और वह कमीशन तरीके बताए कि सेंट्रल पी० डब्ल्यू० डी० में उम्दा तरीके से काम किस तरह से किया जाये।

जाहिर है कि यहां पर मकानात की कितनी कमी है। मैं देखता हूं कि हर रोज सैकड़ों आदमी—क्लास फ़ोर एम्पलाईज़—साइकलों पर शाहदरा और गाजियाबाद जैसे

[श्री मोहन स्वरूप]

दूर इलाकों से दफ्तरों में आते हैं और शाम को छ बजे बेचारे वापस जाते हैं। जो आदमी सुबह चार बजे से उठ कर आफ़िस अटेंड करे और शाम को छ बजे वापस जाये, उसकी दशा क्या होगी ? गवर्नमेंट इस बारे में कुछ नहीं सोच रही है कि हाउसिंग की कमी को किस तरह दूर किया जाये।

जो रिपोर्ट हमारे सामने है, उसमें बताया गया है कि पाच सौ रुपए और उससे ऊपर पाने वाले आफिसर्ज के लिए एकामोडेशन की डिमाड ४,६०७ यूनिट है, ऐवेलेबिलिटी २,२६३ यूनिट है और कमी २,३४४ यूनिट है। पाच सौ रुपए से कम पाने वाले आफिसर्ज के लिये एकामोडेशन की डिमाण्ड ३६,२६७ यूनिट है, ऐवेलेबिलिटी १६,७५१ यूनिट है और कमी १९,५१६ यूनिट की है। क्लास फोर की डिमाण्ड १७,४५४ यूनिट है, ऐवेलेबिलिटी ६,५५२ यूनिट है और शार्टेज १०,९०२ यूनिट है। इसी तरह वर्क-चार्ज्ड स्टाफ की डिमाण्ड ८,००० यूनिट है, ऐवेलेबिलिटी १,६०० यूनिट है और शार्टेज ६,४०० यूनिट है। मैं नही जानता कि मकानात की यह कमी कब तक पूरी होगी और लोग कब तक इस तरह परेशान रहेंगे। मै देखता हू कि दिल्ली में हजारो आदमी बेघरबार रहते हैं, सड़को पर सोते हैं। बल्कि मैंने तो स्टुडेंट्स को लैम्प-पोस्ट्स के नीचे पढ़ते देखा है, क्योंकि उनके पास मकान नही होते हैं। चादनी चौक में जिस जगह पर किसी जमाने मे टावर था और जहा आजकल तोप रखी हुई है, वहा पर हम बैगर्ज और दूसरे लोगो को रात को सोते देखते है। आखिर यह कमी कब तक रहेगी और कब तक हम परेशान-हाली में रहेंगे ?

अब मै हाउसिंग की तरफ आता हू। हाउसिंग के बारे में पाच तरह की स्कीमे बनाई गई हैं। एक तो इडस्ट्रियल हाउसिंग की स्कीम है, दूसरी कम आमदनी वाले ग्रुप वालो के लिए, तीसरी गन्दी बस्तियों के निवासियो के लिए, चौथी बागानो के जो श्रमिक है, उनके लिए और पांचवीं चुने हुए ग्रामो के लिये। रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि ये पाच तरह की स्कीम हैं जो कि तैयार की गई हैं। इनके अलावा दो और स्कीम हैं जो कि विचाराधीन है, एक के तहत ६,००० रुपये से लेकर १२,००० रुपये तक जिनकी आय है, उनको सहायता देने के बारे मे और दूसरी के तहत राज्य सरकारो को हक दिया गया है कि वे अपने कर्मचारियो के लिए सहायता लेकर स्कीम बना सकती हैं और उनको सहायतार्थ रुपया दिया जा सकता है और वह रुपया लाइफ इनश्योरेंस कारपोरेशन के एकाउण्ट से दिया जाएगा। उसी के साथ साथ नो-प्राफिट नो लास बेसिस पर मकानो के लिए स्कीमे रखे ताकि उनको सहायता दी जा सके। लेकिन मै आपको बतलाना चाहता हू कि जब सैकिण्ड फाइव ईयर प्लान आया था, उसमें १२० करोड रुपये का प्राविजन रखा गया था लेकिन रिप्रेजल है कुल ८४ करोड रुपया ही उसमें रखा गया है हाउसिंग के लिये। मै समझता हू कि हाउसिंग के लिये कम रुपया रखना मुनासिब नही था। इसका कारण यह है कि हाउसिंग की बहुत ही एक्यूट प्राबलैम है और उसका कोई न कोई हल निकलना ही चाहिये और वह हल रुपया कम करके नही निकल सकता है। इस वास्ते मै समझता हू कि जो रुपया कम किया गया है वह मुनासिब नही है।

इडस्ट्रियल हाउसिंग के अन्तर्गत एक लाख पाच हजार मकान बनाने की व्यवस्था की गई थी और ३१ ६४ रुपया इस काम के लिए निर्धारित किया गया था लेकिन कुल ७८,५०० मकानात ही बन पाये है। लो इनकम ग्रुप के लिये भी २३ ६४ करोड रुपये का प्राविजन था दिसम्बर १९५८ तक के लिये। ६ २५ करोड रुपये का प्राविजन १९५८-५९ के बजट में किया गया था। इस सबसे ६०,००० मकान बनने थे लेकिन

कुल १२,००० मकान बन पाये हैं । इस तरह से इंडस्ट्रियल हाउसिंग और लो-इनकम ग्रुप दोनों में जब हम मकान बनने की रफ्तार को देखते हैं तो पता चलता है कि वह बहुत ही धीमी है । अगर रफ्तार इसी तरह से धीमी रही तो मैं समझता हू कि आप इन कामो को पूरा नहीं कर पायेंगे ।

अब मैं स्लम्स के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । इस काम के लिये कुछ करोड रुपया, रखा गया है । कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद मद्रास, कानपुर और दिल्ली इन छ शहरो के लिए कुछ रुपया रखा गया है और कुछ स्कीमें बनाई जा रही है । लेकिन जब हम दिल्ली को देखते हैं जो कि मुल्क की राजधानी है, कैपिटल है, तो इन स्लम्स को देख कर हमें शर्म आती है । आप मोतियाखा जायें, जमना बाजार कालोनी जायें, जो हालत इन बस्तियो की है, उसको देख करके लज्जा आती है । इस तरह से जहा तक स्लम्स का सवाल है——

Shri K. C. Reddy: May I point out, Sir, that the Delhi slum clearance work has been under the Ministry of Health and not under the Ministry of Works, Housing and Supply From next year onwards it is going to be transferred to the Ministry of Works, Housing and Supply—the Delhi slum clearance work.

श्री मोहन स्वरूप स्लम्स के मुताल्लिक मै थोडा सा ही कहना चाहूगा कि इनको हटाने की ज. बात की जाती है तो वे दूर नही होते है, बल्कि सरक जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह रख दिये जाते हैं और जिन जगहो पर स्लम्स होते हैं, वहा पर मल्टीस्टोरीड बिल्डिंग्स बना दी जाती है । इन लोगो को अच्छे मकानात देने की व्यवस्था नही होती है, हा यह अवश्य होता है कि ये एक जगह से हट कर दूसरी जगह बन जाते हैं । इस तरह से इन स्लम्स की जो हालत है वह ठीक नही है । मैं कहना चाहता हू कि इन लोगो के लिए मकानो की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

पिछले साल मैंने कहा था कि लाल किले के रैम्पार्टस में जो सासी और भात लोग रहते हैं, इनको पास में ही जो मिलिटरी की लाल। बैरेक्स हैं, उनमे शिफ्ट कर दिया जाए और वे लोग भी इन बैरेक्स को छोडने के लिए तैयार हो सकते हैं और जब इनकी जरूरत होगी डिफेंस के काम के लिये, तब इन्हें उन्हे वापिस दिया जा सकता है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नही दिया गया, इस सुझाव को अभी तक भी इम्प्लेमेंट नही किया गया हे और न ही यहा रहने वाले लोगो को कोई सहूलियतें ही पहुचाई गई हैं ।

अब मैं रूरल हाउसिंग पर आता हू । पहले मै रूरल स्लम्स का जिक्र कर देना चाहता हू । अनेक गावो मे ऐसे स्लम्स हैं, ऐसी गन्दी जगहें हैं, जिनमें कि आदमी बसते हैं और वहा पर आदमी बरसात के दिनो मे नही पहुच सकते है, और वहा से लोग आना चाहे तो नही आ सकते हैं । रूरल स्लम्स के लिए कुछ भी प्राविजन इसमें नही रखा गया है और न ही इसके बारे मे किसी बात का रिपोर्ट को पढने से पता चलता है । पता नही कौनसी कोशिश इन रूरल स्लम्स को दूर करने की की जा रही है ।

जहा तक गावो में हाउसिंग का ताल्लुक है, गाव हिन्दुस्तान की डैमोक्रेसी के एक यूनिट हैं और यह देख कर मुझे दुख होता है कि गावो में हाउसिंग की तरफ कोई तवज्जह नही दी जा रही है । पहले तो १५०० गावो को डिवेलप करने की बात थी । इनमे से ५०० गाव अब चुने गये हैं । और उनको १९५७–५८ में शामिल किया गया था । लेकिन रिपोर्ट में बताया गया है कि ४०० गावो के बारे में ही स्टेट गवर्नमेंट्स से रिपोर्टें आई है कि उनको डिवेलेप किया जाए । रिपोर्ट को देखने से यह जाहिर नहीं होता है कि कितने गांवो में मकानात बनाये गये हैं, कितना रुपया खर्च किया गया है । इन सब बातो के बारे में रिपोर्ट बिल्कुल साइलेंट है . .

Mr. Chairman: I think the hon Member is likely to take some more time. He may continue tomorrow We will now take up the Half-an-Hour Discussion.

18 hrs.

*GHAT TO GHAT BOOKING BETWEEN MAHENDRA GHAT AND PAHLEZA GHAT

श्री राजेन्द्र सिंह (छपरा) सभापति महोदय, इस सदन के सामने दो प्रश्न हैं। पहला तो यह है कि जब आप बिहार के भौगोलिक और प्राकृतिक नक्शे की ओर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार के मध्य से गंगा बहती है, बिहार के दो भागों को गंगा विभक्त करती है। इन दोनों भागों का सम्बन्ध स्थापित करने में तथा एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचने में हमको गंगा को पार करना पड़ता है। यह भी याद रखने की चीज है कि पटना जो कि बिहार राज्य की राजधानी है, वह गंगा से ऊपर बसा हुआ है। जिन लोगों को उत्तर बिहार में पटना जाना होता है उन्हें गंगा को पार करना पड़ता है। इसी तरह से दक्षिण बिहार के लोगों को जब उत्तर बिहार जाना होता है तो गंगा पार करनी पड़ती है। तब प्रश्न उठता है कि इसको पार कैसे किया जाता है ? रेल का जहाज इस नदी में चलता है और वही एक साधन है जिससे कि लोग उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर बिहार से सम्बन्ध स्थापित करते हैं। कोई भी आदमी हिन्दुस्तान में एक स्थान से दूसरे स्थान जाना चाहता है तो यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, उसकी मर्जी पर निर्भर करता है कि जिस तरह से चाहे जाये, जहां चाहे जाए और जहां से चाहे आए। उसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है कोई उसके रास्ते में रुकावट नहीं है। मगर यह अभागा बिहार बहुत से हालात में बहुत से दृष्टिकोणों से केन्द्रीय सरकार की ओर से उपेक्षित रहा है। मगर मैं समझता हूं कि यह और भी ज्यादा तकलीफ की बात है कि रेलवे की ओर से भी बहुत से अंशों में, बहुत से मानों में यह उपेक्षित रहा है।

सभापति महोदय, यह गौर करने की बात है कि अगर आदमी पटना के उस पार जाना चाहे तो जहाज का टिकट उसको नहीं मिल सकता है। उसके ऊपर यह बात जबरन लादी जाती है कि अगर तुम जहाज पर सफर करना चाहो तो तुम को रेल का टिकट कटाना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं और इस सदन के सामने अपनी यह शिकायत रखना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि अगर मैं दिल्ली का निवासी हूं और गाजियाबाद जाना चाहता हूं तो मैं एक टिकट कटा सकता हूं गाजियाबाद का और जा करके वापस टिकट लेकर आ सकता हूं या नहीं आ सकता हूं ? आप मानेंगे कि मैं ऐसा कर सकता हूं। मगर पटना का आदमी अगर पहलेजा घाट जाना चाहे तो उसके लिये यह कर सकना मुमकिन नहीं है और अगर वह इस तरह की हिमाकत करेगा तो उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। अभी हाल ही में इस सदन के अन्दर एक सख्त सा कानून बनाया गया है जिसमें यह दर्ज था कि जो लोग बिना टिकट सफर करते हुए पाए जायेंगे, उनको सख्त सजा मिलेगी कड़ी सजा मिलेगी। अगर कोई आदमी पहलजा घाट से पटना जाना चाहता है तो हालांकि उसकी कोई मंशा नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है कि वह आपका कानून तोड़े या बिना टिकट के जाय, लेकिन पहलेजाघाट से पटना जाने में वह सजा का भागी बनेगा, उसको दंड मिल सकता है, उसको नाना प्रकार की कानूनी यातनायें दी जायेंगी। यह कहां तक सही है ? मेरी रेलवे के अधिकारियों से चर्चायें हुईं, उन्होंने कहा कि इसमें हमारा कुसूर नहीं है कुसूर प्रान्तीय सरकार का है। मगर मैं सोचता हूं कि यह रेलवे मंत्रालय की एक लचर्री दलील

*Half-an-Hour Discussion.